न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सौनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः 10 / 2025 दर्ज दिनांकः 16.01.2025
जी.सी.एम.एस. न0: 2025 / 27

घिशु अली पुत्र दुले खान जाति काजी ग्राम चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

प्रार्थी........

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थी............

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांकः— 21.03.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 1292 / 515 रकबा 0.44 हैक्टर ,ख.नं. 516 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.नं. 520 रकबा 0.22 हैक्टर, ख.नं. 521 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.98 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1 / 2 दर्ज है रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता दुले खान पुत्र छोटू खान के बजाय दुलाराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में सही नाम दुले खान पुत्र छोटू खान ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से दुलाराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज हो गया है जिसको प्रार्थी शुद्ध व दुरूस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थी के पिता दुले खान पुत्र छोटू खान की मृत्यु दिनांक 15.07.2009 को हो चुकी है प्रार्थी अपनी पैतृक भूमि में विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये पटवारी हल्का से मिला तब ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पिता के दस्तावेज व मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित नाम व राजस्व रिकार्ड दर्ज नाम में भिन्नता है जिसके कारण विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता इसलिये प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दुलाराम पुत्र छोटूराम के बजाय दूले खान पुत्र छोटू खान शुद्ध व दुरूस्त करवाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 1292 / 515 रकबा 0.44 हैक्टर ,ख.नं. 516 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.नं. 520 रकबा 0.22 हैक्टर, ख.नं. 521 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.98 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दुलाराम पुत्र छोटूराम के

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

बजाय दूले खान पुत्र छोटू खान शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/547 दिनांक 03.03.2025 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 1292/515 रकबा 0.44 हैक्टर ,ख.नं. 516 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.नं. 520 रकबा 0.22 हैक्टर, ख.नं. 521 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.98 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दुलाराम पुत्र छोटूराम के बजाय दूले खान पुत्र छोटू खान किया जाना सही है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 1292/515 रकबा 0.44 हैक्टर ,ख.नं. 516 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.नं. 520 रकबा 0.22 हैक्टर, ख.नं. 521 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.98 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1/2 दर्ज है रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता दुले खान पुत्र छोटू खान के बजाय दुलाराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में सही नाम दुले खान पुत्र छोटू खान ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से दुलाराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज हो गया है जिसको राजस्व रिकार्ड में शुद्ध व दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 1292/515 रकबा 0.44 हैक्टर ,ख.नं. 516 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.नं. 520 रकबा 0.22 हैक्टर, ख.नं. 521 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.98 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1/2 दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दुले खान पुत्र छोटू खान के बजाय दुलाराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे पहचान पत्र, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में सही नाम दुले खान पुत्र छोटू खान ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से दुलाराम पुत्र छोटूराम गलत दर्ज हो गया है जिसको प्रार्थी ने शुद्ध व दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं तथ्यात्मक जॉच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहीर होता है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम दुले खान पुत्र छोटू खान है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा के वर्तमान भूमि ख.नं. 1292/515 रकबा 0.44 हैक्टर ,ख.नं. 516 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.नं. 520 रकबा 0. 22 हैक्टर, ख.नं. 521 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.98 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता के हिस्से 1/2 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दुलाराम पुत्र छोटूराम के स्थान पर दुले खान पुत्र छोटू खान शुद्व/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी